(1015)

राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2002/आश्विन 17, 1924
No. 228] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2002/ASVINA 17, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2002

सं. टीएएमपी/67/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार लौह अयस्क के प्रहस्तन की दरों में संशोधन के लिए चेन्नई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/67/2001-सीएचपीटी

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) --------------- आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2002 के 5वें दिन पारित किया गया)

यह मामला लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि की दरों में संशोधन के लिए चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि में भारी राजस्व घाटे का उल्लेख करते हुए और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, सीएचपीटी ने लौह अयस्क प्रहस्तन के वर्तमान प्रशुल्कों में शुरू में 125% वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। सीएचपीटी के प्रस्ताव के निष्पक्ष मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीएचपीटी से निर्धारित प्रोफार्मा में लागत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

2.2. इसी बीच, सीएचपीटी का प्रस्ताव संबद्ध प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्तओं की प्रतिनिधि संस्थाओ को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। 18 दिसंबर, 2001 को सीएचपीटी में एक संयुक्त सुनवाई भी की गई थी।

2.3. बार-बार अनुस्मारक भेजने और संयुक्त सुनवाई में पुरजोर आश्वासन देने के बावजूद सीएचपीटी ने निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित लागत विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। लागत ब्योरों के अभाव में, यह प्राधिकरण प्रशुल्क वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि विभिन्न गतिविधियों के बीच विभिन्न लागत मदों की उपयुक्तता और प्रति-छूट के प्रवाह का अनुमान नहीं लगाया जा सका था। इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी को 22 फरवरी, 2002 तक अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करने के पश्चात इस प्राधिकरण ने सूचना के अभाव में इस मामले को बन्द करने के लिए 25 फरवरी, 2002 को एक आदेश पारित किया था।

3. तत्पश्चात, सीएचपीटी ने दिनांक 6 मार्च, 2002 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया और सभी गतिविधियों के लागत विवरण प्रस्तुत किए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीएचपीटी ने अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत कर दिए है, इस प्राधिकरण ने इस मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मामले को पुनः खोलने का निर्णय लिया। तदनुसार, गुण-दोषों पर विचार करने के लिए इस मामले को पुनः खोलने का 11 मार्च, 2002 को एक आदेश पारित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि सीएचपीटी ने इसके साथ ही अपनी दरों के मान में सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसपर अलग से कार्यवाही की जा रही है।

5. सीएचपीटी का प्रस्ताव उपयुक्त प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए दुबारा परिचालित किया गया। संबद्ध मुद्दों की अंतः संबंधित प्रकृति के मद्देनज़र, इस मामले पर कार्यवाही 'सामान्य संशोधन' मामले के साथ की गई है। इस मामले की संयुक्त सुनवाई 17 जून, 2002 को सीएचपीटी परिसर में निश्चित की गई थी। उसके अनुरोध पर, सामान्य संशोधन प्रस्ताव की प्रति और संशोधित दरों का मान फेडरेशन ऑफ इण्डियन मिनरल इण्डस्ट्रीज़ (एफआईएमआई) को उसकी विस्तृत टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

6. सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं/तर्क दिए हैं :-

(i) लौह अयस्क गतिविधि से राजस्व घाटा हुआ है।

(ii) लदे हुए लौह अयस्क की मात्रा के आधार पर वसूल किए जा रहे विशेष घाट शुल्कों को संशोधित दरों के मान में बर्थ किराया प्रभारों के साथ मिलाने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) प्रति-छूट का लाभ लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह कार्गो वर्ष 2005 तक ऐनोर पत्तन में स्थानांतरित कर दिए जाने की संभावना है।

(iv) अयस्क प्रहस्तन संयंत्र में कोई निराधार क्षमता नहीं है, क्योंकि यह 70 लाख टन की अनुमानित क्षमता की अपेक्षा लगभग 75 लाख टन अयस्क का प्रहस्तन करता है।

(v) चूंकि, लौह अयस्क यातायात 2 या 3 वर्षों में ऐनोर में स्थानांतरित हो जाएगा, इसलिए अयस्क प्रहस्तन प्रणाली को आधुनिक बनाने अथवा बदलने के लिए कोई नया निवेश करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

6.2. प्रयोक्ताओं ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं :-

(i) सीएचपीटी द्वारा दिए गए लागत अनुमानों की कोटि संदेहास्पद है। आय कम दिखाई गई है और व्यय अधिक दिखाया गया है। संयुक्त व्यय का प्रभाजन वैज्ञानिक (व्यवस्थित) ढंग से नहीं दिया गया है।

(ii) बाज़ार में गिरती ऋण दरों के संदर्भ में सीएचपीटी को आरओसीई का 18.5% देना अनुचित है।

(iii) केवल यातायात वृद्धि पर जोर देना सही नहीं है। निष्पादन पर भी जोर देना होगा।

(iv) यदि सीएचपीटी रखरखाव और सुधार नहीं करना चाहता है तो प्रयोक्ता सम्पूर्ण अयस्क प्रहस्तन प्रणाली पट्टे पर लेने के लिए तैयार हैं।

(v) लौह अयस्क बर्थों में द्रव कार्गो जलयानों को विंडो बर्थिंग दिए जाने से लौह अयस्क प्रहस्तन क्षमता में लगभग 20 लाख टन प्रतिवर्ष की कमी आई है।

(vi) लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए पत्तन प्रशुल्कों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

6.3. 17 जून, 2002 को हुई संयुक्त सुनवाई में, हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सीएचपीटी में लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए नया प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव किया था। हमें अभी तक हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एचसीसी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

7. तत्पश्चात, सीएचपीटी ने अपने पूर्व लागत विवरण में संशोधन किया है और लौह अयस्क प्रशुल्कों में 95% वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

(i) लौह अयस्क प्रशुल्कों में संशोधन के मुद्दे को सीएचपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में विश्लेषित किया है। यह केवल संबंधित मुद्दों की अंतः संबंधित प्रकृति के कारण नहीं किया गया है, अपितु विभिन्न गतिविधियों के बीच लागतों के प्राक्कलन की विस्तृत जाँच के साथ पत्तन की वित्तीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए भी किया गया है। इस मामले में प्रयोक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करके, पत्तन के लागत विवरणों एवं लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधियों को हमारे सामान्य संशोधन मामले संबंधी विश्लेषण में संशोधित किया गया है। इसलिए, यहाँ ब्योरे नहीं दोहराए गए हैं।

(ii) सीएचपीटी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रति-छूट लाभ इस गतिविधि को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यातायात के शीघ्र ही ऐनोर में स्थानांतरित होने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि सीएचपीटी में पिछले सामान्य सशोधन के समय यातायात वृद्धि की मात्रा निर्धारित करते समय इस गतिविधि को प्रति-छूट लाभ दिया गया था। इस प्राधिकरण की (और, वास्तव में सरकार की भी) की उल्लिखित स्थिति प्रति-छूट के विरूद्ध है। किन्तु, इस प्राधिकरण ने प्रति-छूट के पूर्ण निरसन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकार संगठन को विनियुक्त करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। सभी महापत्तन न्यासों के लिए संयुक्त रूप से प्रति-छूट के निरसन/परिवर्तन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक यह छूट वर्तमान स्तर पर जारी रहेगी। सीएचपीटी का प्रस्ताव, लौह अयस्क प्रशुल्कों से होने वाले प्रति-छूट लाभ के पूर्ण निरसन के समान है। यह प्राधिकरण पत्तन न्यास के मामले में अलग से और उस पत्तन की गतिविधियों में से केवल एक गतिविधि के लिए निर्णय नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में, प्रति छूट का लाभ लागत घाटे दर्शाने वाली अन्य गतिविधियों के समान लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि को भी मिलेगा। लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि सहित विभिन्न गतिविधियों के बीच प्रति-छूट को ध्यान में रखकर सामान्य संशोधन मामले में संशोधित लागत विवरण पर विचार किया गया है।

(iii) सीएचपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि के लागत विवरण में केवल लौह अयस्क प्रहस्तन से होने वाली आय की गणना की गई है, परंतु अनुमानित व्यय में लौह अयस्क बर्थों से संबंधित सभी लागतें शामिल है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि द्रव कार्गो जलयान भी लौह अयस्क बर्थों में वर्ष में लगभग 50 दिन के लिए बर्थ किए जाते हैं, प्रयोक्ताओं ने माँग की है कि लागत अनुमान में पीओएल जलयानों से होने वाली आय को भी शामिल किया जाए। चूंकि, अपेक्षित संशोधन की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए पत्तन की लागत स्थिति पर सामान्य संशोधन मामले में समग्र रूप से विचार किया गया है, इसलिए पत्तन द्वारा संबद्ध लागत विवरण में संगत आय को शामिल नहीं करने और लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध व्यय को अलग नहीं करने की त्रुटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) समग्र राजस्व स्थिति पर विचार और विभिन्न गतिविधियों के बीच प्रति-छूट के प्रवाह को स्वीकार करके, इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी में लौह अयस्क प्रहस्तन के वर्तमान प्रशुल्कों में 15% तक संशोधन करने का निर्णय लिया है, हालांकि पृथक से इस गतिविधि में लगभग 70.7% का घाटा दिखाया गया है।

(v) सीएचपीटी में प्रशुल्कों के पिछले सामान्य संशोधन संबंधी अपने आदेश में, इस प्राधिकरण ने विशेष घाट शुल्कों को बर्थ किराया प्रभारों में मिला देने का सुझाव दिया था। उल्लेखनीय है कि यह प्रभार जलयान स्वामी/अभिकर्ता से वसूल किया जा रहा है। सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, सीएचपीटी ने विशेष घाट शुल्कों को उनके साथ मिला कर लौह अयस्क जलयानों के लिए संशोधित बर्थ किराया प्रभारों का प्रस्ताव किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा ऐसा ही युक्तिकरण वीपीटी में भी किया गया है। चूंकि, सामान्य संशोधन मामले में इस प्राधिकरण द्वारा लौह अयस्क प्रभारों के लिए संशोधित बर्थ किराया प्रभार अनुमोदित किए गए हैं, इसलिए संशोधित दरों के मान से विशेष घाट शुल्कों की वसूली से संबंधित प्रविष्टि हटाई जाती है।

(vi) सीएचपीटी की दरों के मान में निर्धारित लौह अयस्क का प्रहस्तन प्रभार एक संयुक्त दर है, जिसमें कार्गो की प्राप्ति और लदाई संबंधी सभी प्रचालन शामिल हैं। सीएचपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, यह प्राधिकरण उस स्थिति में संयुक्त प्रहस्तन प्रभार पर 20 रुपए प्रति टन की छूट पहले ही अनुमोदित कर चुका है जब रोयापुरम रेलवे यार्ड में बोगियों से लौह अयस्क हाथों से उतारा जाता है और निर्यातकों की लागत पर लदाई के लिए यांत्रिक अयस्क प्रहस्तन संयंत्र में ले जाया जाता है। यह छूट इसलिए दी गई है, क्योंकि पत्तन की प्राप्ति प्रणाली (जैसे बोगी टिपलर और स्टैकर) प्रयोग नहीं की गई है। यह छूट केवल रोयापुरम रेलवे यार्ड से ले जाए जाने के मामले तक सीमित रखने के बजाय उन सभी मामलों में देनी उपयुक्त होगी जहाँ पत्तन की प्राप्ति प्रणाली विनियुक्त नहीं है। दरों के मान में इससे संबंधित वर्तमान शर्त में तदनुसार संशोधन किया गया है और सामान्य संशोधन मामले में अधिसूचित किए जाने के लिए संशोधित दरों के मान में शामिल किया गया है।

9. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रस्ताव को सामान्य संशोधन मामले में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के मद्देनज़र निपटाने का निर्णय करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/असाधारण/2002]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2002

No. TAMP/67/2001-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Chennai Port Trust for revision of rates for handling of iron ore as in the Order appended hereto.